दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आप.वि.वा. 2149/2019

निर्णय की तिथि 09/11/2020

के मामले में:

मेसर्स चेसन्स इंटरप्राइसेज़ ...याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री पंखुड़ी, श्री मयंक क्षीरसागर, श्री पार्थसार्थी बोस, मोहम्मद आरिफ और श्री अखिलेश यादव, अधिवक्तागण

बनाम

मेसर्स कादीज़ फार्मासुटीकल्स प्राइवेट लिमिटेड ...प्रत्यर्थी

द्वारा : किसी के द्वारा नहीं

(विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा)

कोरम:

माननीय न्यायाधीश श्री मनोज कुमार ओहरी

मनोज कुमार ओहरी, न्या. (मौखिक)

आप.वि.अ. 15326/2020 (छूट)

1. सभी न्यायसंगत अपवादों के अध्याधीन अनुमति प्रदान की जाती है |
2. आवेदन का निपटान किया जाता है।

आप.वि.वा. 2149/2019 और आप.वि.अ. 15325/2020 (रोक)

1. वर्तमान याचिका याची की ओर से, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली द्वारा दिनांक 11.09.2019 को पारित किए गए आदेश का विरोध करते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दाखिल की गई है, जिसमें याची द्वारा दायर

याचिका के माध्यम से विद्वान मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली द्वारा सीसी सं. 3738/2018 में दिनांक 05.09.2018 को पारित समन करने के आदेश को दी गयी चुनौती को खारिज़ कर दिया गया था|

2. आक्षेपित आदेश में उल्लिखित संक्षिप्त तथ्यों को निम्न प्रकार से पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

> *"संक्षेप में वर्तमान संशोधन के लिए जिम्मेदार तथ्य यह है कि यहाँ के प्रत्यर्थी ने दं.प्र.सं. की धारा 200 के तहत संशोधनकर्ता के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत एक दंडनीय अपराध के लिए शिकायत दायर की, जिसमें कहा गया कि यह एक कंपनी है जो पूरे भारत में कई दवाओं के व्यापार में कार्यरत है। संशोधनकर्ता दवाओं के व्यवसाय में है और उधार के आधार पर दवाओं की खरीद के लिए संपर्क किया था। तदानुसार, संशोधनकर्ता का एक चालू खाता प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा खोला गया था। मई 2018 में, खाते के विवरण के अनुसार संशोधनकर्ता पर 1,86,369/- रुपये की राशि बकाया थी तथा जिसके मांगे जाने पर, संशोधनकर्ता ने उक्त राशि के लिए अपनी देयता के निर्वहन में चेक सं. 926091 दिनांकित 04.06.18 जारी किया। उक्त चेक जब प्रत्यर्थी द्वारा नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था, तो 'भुगतान रोके जाने' के कारण चेक को अस्वीकार कर दिया गया, जिसे प्रत्यर्थी को बैंक मेमो दिनांक 05.06.18 के माध्यम से सूचित किया गया था। संशोधनकर्ता को कानूनी मांग नोटिस दिनांकित 29.06.2018 जारी किया गया था जिसे पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा गया था, लेकिन इसका उत्तर नहीं दिया गया था और न ही कोई भुगतान किया गया था और इसलिए, यह शिकायत प्रस्तुत है ।*

3. याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री पंखुड़ी, ने निवेदन किया कि समझौता/वितरक प्रोफाइल फॉर्म करते समय, प्रशनगत चेक को सुरक्षा के रूप में दिया गया था न कि किसी ऋण या देयता के निर्वहन के लिए। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त समझौते के

कॉलम संख्या 22 का उल्लेख किया, जहां प्रश्नगत चेक का विवरण दिया गया था। इस प्रकार यह कहा जाता है कि चेक केवल सुरक्षा के लिए दिया गया था न कि किसी ऋण के निर्वहन के लिए; या देयता के लिए, याचिकाकर्ता द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत कोई अपराध नहीं किया गया था।

4. उपर्युक्त समझौते के कॉलम सं. 21 और 22 का अवलोकन इस प्रकार से है : -

> *"21 मेडले (जेनकरे डिवीजन) के लिए प्रस्तावित सुरक्षा जमा - रु 1 लाख - 926089 - 20. 06. 16*
> *प्रतिभूति का डीडी/चेक विवरण संलग्न - भारतीय स्टेट बैंक 926090 सुरक्षा जमा कादीज़ फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के पक्ष में दिया जाना चाहिए।*
>
> *22. संलग्न दोनों रिक्त चेकों का विवरण 926090-926091, एसबीआई इंदौर।"*

5. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि पूर्वोक्त समझौता करते समय, दो अन्य चेक दिए गए थे। पहला चेक सं. 926089 1 लाख रुपये के लिए मेडले (जेनकरे डिवीजन) के लिए प्रस्तावित सुरक्षा जमा राशि के रूप में दिया गया था तथा एक अन्य चेक सं. 926090 सुरक्षा की ओर दिया गया था। 'प्रश्नगत चेक' सं. 926091 को कॉलम संख्या 22 के संदर्भ में भी सौंपा गया था, लेकिन किसी उद्देश्य का उल्लेख नहीं किया गया था। आक्षेपित आदेश के अवलोकन में यह भी दिखना चाहिए कि दोनों पक्षों के प्रतिद्वंदी विवादों को नोट किया गया था। शिकायतकर्ता ने प्रतिवाद किया कि याची की अपनी बकाया राशि का भुगतान करने में विफलता पर, 'प्रश्नगत चेक', जिसे उपरोक्त करार करते समय सौंपा गया था, वह उस दिन को विद्यमान दायित्व का चेक बन गया था| दूसरी ओर, याचिकाकर्ता की ओर से निवेदन किया गया कि शिकायतकर्ता ने किसी

भी देयता के किसी भी बिल या चालान को प्रस्तुत नहीं किया था और केवल एक स्टॉक हस्तांतरण नोट पर भरोसा जताया गया था |

वर्तमान याचिका में बहस के दौरान, याची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रश्नगत चेक पर याची के हस्ताक्षर से इनकार नहीं किया है हालांकि, प्रश्नगत चेक पर, यह कहा गया कि सौंपने के समय, एक रिक्त चेक दिया गया था।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों को देखने तथा आक्षेपित आदेश को पढ़ने के बाद, यह स्पष्ट है कि तथ्यों के विवादित प्रश्नों को उठाया गया है जिन्हें विचारण में अधिनिर्णयन की आवश्यकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस. कृष्णमूर्ति बनाम चेल्लम्मल, (2015) 14 एससीसी 559 के रूप में प्रकाशित में इस प्रकार कहा है कि : -

> *"5. उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी (अभियुक्त) का उपरोक्त बचाव, संहिता की धारा 482 के तहत दायर याचिका में, कुछ भी नहीं है, केवल प्रकृति में बिल्कुल तथ्यात्मक है, जिसे न तो शिकायतकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया है, न ही अभिलेख पर स्पष्ट है। इस तरह के विवादित तथ्यात्मक बचाव को केवल विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकारा जा सकता था, जब पक्षों ने अपने अपने साक्ष्यों को प्रस्तुत किया था। हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने आरोपों और प्रत्यारोपों की जांच करने में कानून की गंभीर त्रुटि की, जो संहिता की धारा 482 के तहत कार्यवाही में विवादित और तथ्यात्मक हैं।*
>
> *6.पाडल वेंकट रामा रेड्डी बनाम कोवुरी सत्यनारायण रेड्डी, (2011) 12 एससीसी 437: (2012) 1 एससीसी (क्रि) 603 में, इस न्यायालय ने संहिता की धारा 482 के दायरे में कानून की व्याख्या करते हुए, अनुछेद 32 में निम्नानुसार पाया कि,: (एससीसी पी. 448)*

32 उच्च न्यायालय के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह शिकायतकर्ता के मामले का विश्लेषण सभी संभावनाओं के तहत करे ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या दोषसिद्धि धारणीय होगी और इस तरह के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचे कि कार्यवाही को समाप्त किया जाना चाहिए। एक शिकायत पर शुरू की गई कार्यवाही में, कार्यवाही को समाप्त करने के लिए निहित शक्तियों का प्रयोग केवल उस मामले में किया जाता है जिसमें शिकायत किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करती है या तुच्छ, अप्रिय या दमनकारी है। विचारण से पूर्व प्रत्येक पहलू के सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या मामला दोषसिद्धि या बरी होने के साथ समाप्त होगा। '

7.कानून की उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर, हमारे पास उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को नकारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि इसने तथ्य के अत्यधिक विवादित प्रश्नों में प्रवेश किया है और निष्कर्ष निकाला है कि इसके समक्ष पेश किए गए तथ्य शिकायतकर्ता के मामले में उचित संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त थे । यह वह आधार नहीं है जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है।

7. *माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने <u>राजेशभाई मूलजीभाई पटेल और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य</u>* **(2020) 3 एससीसी 794** के रूप में प्रकाशित, में इस प्रकार माना है कि: -

"22..... जब तथ्यों के विवादित प्रश्न अंतर्वलित होते हैं जिन्हें पक्षकारों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के पश्चात् न्यायनिर्णीत किए जाने की आवश्यकता होती है, तो परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन शिकायत को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 का आश्रय लेकर उच्च न्यायालय द्वारा अभिखंडित नहीं किया जाना चाहिए | हालाँकि, न्यायालय के पास परक्राम्य

लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर आपराधिक शिकायत को सीमित आदि करने की शक्ति है लेकिन योगेशभाई के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर आपराधिक शिकायत को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता 3 और प्रत्यर्थी 2 के बीच परस्पर विवाद हैं तथा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के तहत उठाए गए वैधानिक अनुमान को ध्यान में न रखते हुए, उच्च न्यायालय ने, हमारे विचार में, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर आपराधिक शिकायत सीसी सं. 367/2016 में को खारिज करने में गंभीर त्रुटि की है।'

8. जहां तक रिक्त चेक जारी करने का सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय ने *बीर सिंह बनाम* मुकेश कुमार (2019) 4 एससीसी 197 के रूप में प्रकाशित, में यह स्वीकार किया है कि यदि हस्ताक्षर किए गए रिक्त चेक को आदाता को कुछ भुगतान हेतु स्वेच्छा से प्रस्तुत किया गया हो, तो राशि और अन्य विवरण भरने से चेक अमान्य नहीं होगा। यह साबित करने का दायित्व अभियुक्त पर ही रहेगा कि चेक किसी भी ऋण या देयता के निर्वहन के लिए नहीं था तथा इसके निर्वहन हेतु साक्ष्यों को प्रस्तुत करना होगा|

9. क्या प्रश्नगत चेक सुरक्षा के लिए जारी किया गया था या किसी भी ऋण या देयता के लिए या नहीं, यह एक बचाव का मामला है जिसे विचारण में याचिकाकर्ता द्वारा अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने पर निर्धारित किया जा सकता है।

10. इस समय, मैं एचएमटी वॉचेज लिमिटेड बनाम एम.ए. अबिदा और अन्य **(2015) 11 एससीसी 776** के रूप में प्रकाशित में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना लाभदायक मानता हूं, जहां निम्नानुसार यह माना गया था:

"10.... चेक सुरक्षा के रूप में दिए गए थे या नहीं, या बकाया देयता थी या नहीं, यह तथ्य का सवाल है जो केवल पक्षों के साक्ष्य दर्ज करने के बाद विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता था। हमारी राय में, उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका में तथ्य के विवादित प्रश्नों पर अपना विचार व्यक्त नहीं करना चाहिए था, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि अपराध नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यात्मक पहलुओं में जाने के लिए कानून में त्रुटि की है जो पक्षों के मध्य स्वीकारा नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने आगे यह देखने में भी त्रुटि की है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 (बी) का अनुपालन नहीं हुआ है, भले ही प्रत्यर्थी 1 (अभियुक्त) ने स्वीकार किया था कि उसने शिकायतकर्ता द्वारा जारी नोटिस का जवाब दिया था। इसके अलावा, तथ्य यह है कि क्या शिकायतकर्ता कंपनी द्वारा डिमांड नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले को अधिकृत किया गया था या नहीं, उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में जांच नहीं की जा सकती थी जब शिकायतकर्ता द्वारा इसे खंडित करने वाली दलील दी गई थी /

11. हाल ही में, <u>वोम्ब लेबोरेटरीज प्रा. लिमिटेड बनाम विजय आहूजा एवं अन्य</u> **2019 (4) आरसीआर (आपराधिक) 358** के रूप में प्रकाशित, में यह माना गया था कि चेक सुरक्षा के लिए दिए गए थे और किसी भी ऋण या दायित्व के निर्वहन हेतु नहीं, यह एक विचारणीय मुद्दा है जिसके लिए प्रासंगिक तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता है।

12. कानून की उपरोक्त व्याख्या के मद्देनजर, मुझे याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए विवादों में कोई गुणागुण नज़र नहीं आता । मुकद्दमे में यह याचिकाकर्ता को स्थापित करना होगा कि प्रश्नगत चेक किसी ऋण या देयता के निर्वहन हेतु नहीं दिया गया था। नतीजतन, मुझे आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं मिली है और इसे

बरकरार रखा जाता है। वर्तमान याचिका खारिज की जाती है। विविध आवेदन को निरर्थक मान कर निपटाया जाता है।

13. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अंतिम रूप से कहा कि याचिकाकर्ता की आयु लगभग 56 वर्ष है और वह इंदौर का निवासी है और विचारण न्यायालय के समक्ष सुनवाई की अगली तारीख 11.12.2020 तय की गई है। उन्होंने प्रार्थना की कि कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए, याचिकाकर्ता को केवल 11.12.2020 के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की जाए। उन्होनें निर्देश पर कहा कि याचिकाकर्ता 11.12.2020 के बाद तय की गई किसी भी तारीख को विचारण न्यायालय के समक्ष शारीरिक रूप से पेश होने का वचन देते हैं| याचिकाकर्ता विचारण न्यायालय के समक्ष उपयुक्त आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा जिसे विधि के अनुसार निपटाया जाएगा।

14. निर्णय की प्रति विचारण न्यायालय को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संप्रेषित की जाए।

(मनोज कुमार ओहरी)
न्यायाधीश

09 नवम्बर, 2020
जीए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|